:: आदेश ::

भीलवाड़ा के लोग अपने समाज और समय की समस्याओं के लिए नए स्वयं निर्देश एवं लोग प्रशासन बनाए रखने की तृप्ति से कार्यालय स्तर से वृद्धि दर स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, साथ ही भारतीय दण्ड प्रभावित संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय के साथ-साथ जिले के कुछ उपकरण क्षेत्रों में संख्या निषेधाएं एवं जिले की समस्या राजस्थान सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी है।

इस कार्यालय में आमतौर पर गैस लिमिटेड द्वारा आपूर्ति प्रस्तुत किया है कि ग्राम कांड के सुखाना एवं भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र — आरसी00वास, आरसी00 कोलोनी, प्रायोगिक नगर एवं सरस और सरस डिपार्टमेंट क्षेत्र में गैस लाइन प्रोजेक्ट प्राइमरॉल एवं गैस लाइन इंस्टेलेशन की स्टील गैस पाइप लाइन का कार्य किया जा रहा है, तो लोग जानने वाले क्षेत्र बना पड़ा है। कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति बाँटी गई है।

अतः लोग जानने वाले क्षेत्र (MHA) द्वारा दी गई छुट्टी के तहत नेता कोलोनी बांध के कार्यालय के हिस्से में संख्या निषेधाएं एवं शहरी क्षेत्र में गैस लाइन प्रोजेक्ट प्राइमरॉल एवं गैस लाइन इंस्टेलेशन द्वारा स्थानीय गैस पाइप लाइन का कार्य किया जा रहा है, तो लोग जानने वाले क्षेत्र के अधिकारी प्राधिकृत जाने हैं:

1. उत्तरतम स्वीकृति पूर्तित अप्सार नगर किया एवं केंद्र/स्थानीय सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं शहरी क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यों से निरंतर जाना सम्भव है।
2. उत्तरतम हेतु किसी शिकार का शीघ्रतंत्र स्वीकृति का आवश्यकता होता है तो स्वीकृति उपरान्त ही कार्य किये जाना सुनिश्चित करें।
3. नियोजित अधिकारियों का रहस्यांत्य बाध्य संबंध कार्यस्थल पर ही किया जायें।
4. शर्मक एवं अन्य कार्यालयों का केंद्रीय मोड़ का प्रशासन लागू होगा।
5. Social distance के निर्देशानुसार माध्यमिक अनुसार आवागमन किया जायें।
6. आवागमन करने वाले अधिकारियों को सैनिकों के सैनिकों के सैनिकों से उद्योग दिनांक अवधारन किया जाएगा।
7. सभी कार्यालयों के समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाएंगे।
8. उत्तरतम प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत स्थानों पर कार्यों को सैनिकों संबंधी उपलब्ध कराए जाएं।
9. जिले के बाहर से उत्तरतम प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत अधिकारी/डिप्लोमेट/प्रशासक का आदेश किया जाएगा हेतु राजस्थान सरकार से जारी गाइडलाइन अनुसार अनुमति ली जाकर आवागमन कर सकेंगे।
10. भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार का कोविड-19 के संबंध में समय समय पर जारी की गई एडवायर्जरी एवं जिला तर्ज में लागू धारा 144 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।
11. स्वास्थ्य एवं परीक्षण कार्यक्रम मंत्रालय का अधिकारी दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी एवं सामाजिक कुर्सी बनाए रखना सुनिश्चित करें, तथा समय आवागमन करने वाले अधिकारियों/कार्यालयों का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरान्त रचना होने का माध्यम पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्तर स्वीकृति जाना होगा।
12. उत्तर अनुमति के दौरान कार्य करने वाले अधिकारियों को जारी जूताम/बुखार एवं अन्य किसी प्रकार के लक्षण पाएं जाने पर तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से चिकित्सांग्रह करावे जाकर इस प्रदत्त निर्देशों की पालना की जाए।
13. गृहमंत्री के संदेश तथा धुनियों पर जुमाने से दण्डनीय होगा।
14. उत्तर्द्वारमें हेतु भीलवाड़ा जिले के बाहर से श्रमिकों/कार्मिकों का आगमन प्रतिबंधित होगा।
15. कोरोना-19 प्रकार के लिए सार्वजनिक निरीक्षण का तथा Social distance एवं स्वास्थ्य से संबंधित प्रोटोकॉल को फैला करते हुए एकस्त्र रोकौल एवं संचालन प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना होगा। उपयोगी का उल्लंघन करने पर एवं उत्तर शर्तों/प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रवेश के अधिनियम 2005, भारत सरकार संहिता 1860 की धाराओं एवं “The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957” एवं अन्य स्व-संगठन विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रतिष्ठित निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यान्वयन हेतु प्रसिद्ध है –

01. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रसिद्ध कर लेंगे कि उक्त आदेश समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु मेजला जायें।
02. अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, प्रदेशार्थी भीलवाड़ा
03. नुक्सान अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
04. नुक्सान धर्मकारिणी एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को न्यूज़र कर लेंगे कि इस संबंध में सरकार के जवाब के लिए प्रेस्जर करने हेतु सभी पालना सुनिश्चित करने हेतु सभी सरकारी अनुसार संबंध करें।
05. समस्त उपकरण मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
06. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
07. समस्त जिला तत्त्वात्मक अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
08. समस्त तहसील अधिकारी एवं कार्यालय मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
09. समस्त विकास अधिकारी अंतर्गत सभी पालना सुनिश्चित, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
10. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा
11. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा / समस्त अंतर्गत अधिकारी, नगर पालिका, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
12. प्रवेश, आदायानी गैस लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय भीलवाड़ा
12. अधिकारी, तत्त्वात्मक संचार, जिला कालक्टर, भीलवाड़ा